

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1841/2013/कोटा

मैसर्स रमणलाल मणीभाई एण्ड कम्पनी,  
रामगंज मण्डी, कोटा  
बनाम

.....अपीलार्थी

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत्त रामगंज मण्डी
2. उपायुक्त (अपील्स),  
अजमेर

.....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष  
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी,  
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा,  
उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से

दिनांक : 18/05/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 08/वैट/12-13/झालावाड़ में पारित आदेश दिनांक 14.08.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त रामगंज मण्डी (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23.03.2010 में सृजित की गई मांग के संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील आंशिक स्वीकार की गई है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2007-08 में अपीलार्थी द्वारा क्लेम की गई आईटीसी रुपये 1,28,365/- को फर्जी एवं कूटरचित बिलों के आधार पर की गई खरीद मानते हुए गलत क्लेम करने के कारण इसे अस्वीकार करते हुए धारा 61 के अंतर्गत शास्ति रुपये 5,13,460/- भी आरोपित की गई। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा विक्रय राशि रुपये 36,46,300/- के संबंध में घोषणा पत्र वैट 15 कर निर्धारण अधिकारी के





समक्ष समयावधि में पेश नहीं किये जाने पर 4 प्रतिशत की दर से कर रूपये 1,45,852/- तथा ब्याज रूपये 43,755/- भी आरोपित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जिसे आंशिक स्वीकार करते हुए आईटीसी अस्वीकार किये जाने की पुष्टि करते हुए इस सम्बन्ध में धारा 61 के अंतर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है तथा घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आरोपित अन्तर कर की पुष्टि की गई परन्तु अपीलार्थी की अधिक राशि राजकोष में जमा होने के कारण आरोपित ब्याज को अपास्त किया गया है। उक्त अपीलीय आदेश दिनांक 14.08.2013 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष धारा 83 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा विधिवत रूप से माल क्रय करते हुए इसका लेखांकन किया गया है तथा प्रश्नगत खरीद सही वैट इनवॉइसेज से की गई है अतः उसके द्वारा आईटीसी का क्लेम किया जाना पूर्णतया उचित है, जिसे अस्वीकार करने में कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गई है। घोषणा पत्र वैट-15 प्रस्तुत नहीं किये जाने के संबंध में सृजित मांग के बारे में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आरवैट नियम 21 में संशोधन करके पूर्व की अवधि के बकाया घोषणा पत्र पेश करने की सुविधा व्यवहारीगण को दी गई थी, अतः उस क्रम में अपीलार्थी द्वारा बाद में पेश किये गये घोषणा पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं, अतः उन्होंने अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।
4. प्रकरण में उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधिनियम की धारा 18 के प्रावधान सुस्पष्ट हैं तथा विक्रेता द्वारा संग्रहीत की गई कर राशि राजकोष में जमा होने पर ही इसका समायोजन दिया जा सकता है। साथ ही उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी द्वारा घोषणा पत्र वैट-15 निर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किये गये थे, अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अतिरिक्त कर पूर्णतः विधिसम्मत है। अपने इन कथनों के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करते हुए अपीलीय आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की।
5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा रामगंज मण्डी स्थित फर्म मैसर्स हीना ट्रेडिंग कम्पनी से की गई तथाकथित खरीद के पांच वैट इनवॉइसेज के संबंध में आईटीसी रूपये 1,28,365/- का क्लेम किया गया




था, परन्तु जांच में उक्त संव्यवहार सही (genuine) नहीं पाये गये थे। प्रस्तुत प्रकरण के समान तथ्यों वाले एक प्रकरण Commercial Taxes V/s. M/s. Nahar Rayer Earth SB STR No. 388/2011 में निर्णय दिनांक 04.11.2016 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि बोगस या कूटरचित बिलों के मामलों में आईटीसी का क्लेम स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उक्त निर्णय के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं :-

*"12. The input tax credit in my humble opinion can only be allowed to a dealer who though may be registered but if it has been found to be indulging in issuing bogus/forged/fabricated bills, then this is sufficient reason to disallow input tax credit. It is also a finding that the tax on the basis of VAT invoice is required to be deposited within three months but neither the seller nor the assessee having deposited the same, the claim was also not well justified in the hands of assessee. It may be a different issue that action is required to be taken in the case of M/s. Bhairav Minerals, is no reason to allow the claim of input tax credit in so far as the assessee is concerned. No material has been brought on record as to how input tax credit can be allowed to the assessee.*

*18. The issue about input tax credit having been disallowed came up before this Court in the case of M/s Raj Motors and Machinery Store Vs. Commercial Tax Officer (SB Sales Tax Revision Petition No.16/2015) and this Court vide judgment & order dt.04/10/2016 has held that benefit of input tax credit was rightly denied by the Revenue in that case. "*


चूंकि प्रश्नगत आईटीसी के संबंध में संव्यवहार ही बोगस थे तो ऐसे गलत इनवॉइसेज में दर्शायी गई वैट राशि जो कि वास्तव में राजकोष में जमा ही नहीं हुई, के समर्थन से आईटीसी का क्लेम अस्वीकार करने में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, अतः इस संबंध में अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।


6. इस अपील में विवादित द्वितीय बिन्दु अर्थात् घोषणा पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में आरोपित अन्तर कर के संबंध में अपीलार्थी के इस कथन में बल पाया जाता है की राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियम 21 में संशोधन कर समयावधि में प्रस्तुत नहीं हो सके घोषणा पत्रों को प्रस्तुत करने का समय बढ़ाया गया है, अतः अपीलार्थी द्वारा समयावधि में प्रस्तुत नहीं किये जा सके घोषणा पत्र जो कि बाद में पेश कर दिये गये थे, को स्वीकार किया जाना चाहिए। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा नियम 21 में अधिसूचना




दिनांक 09.03.2011 तथा 09.03.2015 के द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि बढ़ायी गई है, अतः कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अपीलार्थी द्वारा बकाया घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिये गये हों तथा वे यथासंशोधित नियम 21 के अनुसार स्वीकार योग्य पाये जाते हैं, तो उन्हें स्वीकार किया जावे।

7. परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर घोषणा पत्रों के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।
8. निर्णय सुनाया गया।

  
(ओमकार सिंह आशिया)  
सदस्य

  
(वी. श्रीनिवास)  
अध्यक्ष